सं. 2-13/ 2012-वाईएच
भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(युवा कार्यक्रम विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक- 26 नवंबर 2012

सेवा में,
जिला मजिस्ट्रेट सह अध्यक्ष,
छात्रावास प्रबंधन समिति,
(सभी युवा छात्रावास)

विषय- युवा छात्रावास स्कीम- प्रबंधकों को आवास, स्वागत अधिकारी सह केयरटेकर की नियुक्ति के संबंध में निर्णय

(संदर्भ- इस मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2-4/ 2009- वाईएच/ पालिसी दिनांक 21.4.2010)

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने विचार करने के बाद युवा छात्रावासों का सुचारू कार्यकरण और दिन-प्रतिदिन का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है:-

1. **प्रबंधकों के लिए आवास**- प्रबंधकों को युवा छात्रावास परिसर में आवास (दो कमरे अटैच बाथरूम और किचन) उपलब्ध कराया जाएगा। इस आवास में अलग से एक बिजली का मीटर लगाया जाएगा और बिजली प्रभार का भुगतान प्रबंधक द्वारा किया जाएगा।

2. **केयरटेकर की नियुक्ति**- छात्रावास की जरूरतों, सुविधाओं, अपेक्षाओं और संसाधनों के अनुसार छात्रावास प्रबंधन समिति दैनिक वेतन/ संविदा आधार पर उपयुक्त स्वागत अधिकारी सह केयरटेकर की नियुक्ति कर सकती है। युवा छात्रावास के मैनुअल के अध्याय 5 - स्टाफ पैटर्न, में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्टाफ (युवा छात्रावास प्रबंधक को छोड़कर) की नियुक्ति और उन्हें हटाने का उत्तरदायित्व छात्रावास प्रबंधन समिति (एच.एम.सी.) का है और उनके वेतन/ मजदूरी का भुगतान युवा छात्रावास की निधियों से किया जाएगा।

3. सभी मामलों में युवा छात्रावास प्रबंधक की नियुक्ति/ नियुक्ति का विस्तार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

भवदीय,

हस्ताक्षर
(आई.बी. लेंका)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि- प्रबंधक (सभी युवा छात्रावास) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।